



HAPUR POLICE



प्रेस नोट

थाना- गढमुक्तेश्वर

दिनांक:- 20-06-2025

"~ संगठित गैंगस्टर अपराध के विरुद्ध हापुड़ पुलिस की कार्यवाही ~"

- थाना गढमुक्तेश्वर पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक शातिर अपराधी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल सम्पत्ति एक कार (वर्तमान कीमत करीब 3,50,000 रुपए) को कुर्क किया गया।
- अभियुक्त विजय शर्मा शातिर किस्म का साइबर अपराधी है जिसके द्वारा अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु अवैध संसाधनों से धन अर्जित कर के एक होण्डा सिटी कार खरीदी गई थी, जिसकी जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गढमुक्तेश्वर पुलिस द्वारा थाना बहादुरगढ़ के मु0अ0सं0 62/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विजय शर्मा द्वारा अवैध रूप से चल सम्पत्ति एक कार अर्जित की गई थी, जिसको धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट मेरठ के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया गया।



अभियुक्त का नाम व पता:-

विजय शर्मा पुत्र पुष्पेन्द्र शर्मा निवासी प्लॉट नं0 1245 संजय नगर जेसीएन एलीमेंट्स के पास अजमेर रोड थाना चित्रकुट जनपद जयपुर (राजस्थान)।

अभियुक्त विजय शर्मा का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 41/22 धारा 420 भादवि व 66,66C, 66D आईटी एक्ट थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

2. मु0अ0स0 42/22 धारा 420 भादवि व 66,66C, 66D आईटी एक्ट थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।

3. मु0अ0स0 62/2024 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ।

जब्त/कुर्क की गई चल सम्पत्ति का विवरण-

एक होण्डा सिटी कार रजि0न0 DL14 CD 2322 (वर्तमान कीमत करीब 3,50,000/- रुपए) ।

कुर्क करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री पवन यादव नायब तहसीलदार तहसील गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
2. प्र0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
3. उ0नि0 श्री चिंकू सैनी थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
4. उ0नि0 श्री लोकेन्द्र सिंह थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।